प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 05.01.21

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

थाना पलिया पुलिस द्वारा 137 अवैध नशीली टैबलेट सहित अभियुक्त राजन को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना पलिया पुलिस द्वारा अभियुक्त राजन कुमार पुत्र राधे नि0 नगला थाना पलिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 137 अदद नशीली टैबलेट (अल्फ्रासेफ) बरामद की गई। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 07/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर विगत 37 वर्षों से अध्यापक की नौकरी करने वाले फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया

प्रेस नोट थाना फरधान

फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर विगत 37 वर्षों से अध्यापक की नौकरी करने वाला फर्जी शिक्षक गिरफ्तार।

दिनांक 05.01.2021 को थाना फरधान पुलिस व एसटीएफ को फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर विगत 37 वर्षों से अध्यापक की नौकरी करने वाले फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :
पतिराम सिंह पुत्र स्व0 नारायण सिंह नि0 परसेहरी कला थाना फूलबेहड़ जिला खीरी।

बरामदगी व जामा तलाशी:
1. 4200 रू0 नगद
2. दो अदद मोबाइल फोन

विगत कुछ समय से बेसिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 मे फर्जी अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध मे शिक्षा विभाग द्वारा फर्जी अध्यापकों के विरूद्ध विभिन्न थानों मे मुकदमे पंजीकृत कराये गये थे इस सम्बन्ध मे थाना फरधान मे भी एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था जिसका अभियुक्त उपरोक्त इनामी अपराधी काफी समय से फरार चल रहा था ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के मार्गदर्शन मे चलाये जा रहे तलाश वांछित वारंटी व इनामी अपराधियों की धर पकड़ अभियान के क्रम मे आज दिनांक 05.01.2021 को थाना फरधान पुलिस व एसटीएफ टीम द्वारा उपरोक्त फर्जी शिक्षक को एलआरपी चौराहे से गिरफ्तार किया गया।

पतिराम सिंह पुत्र स्व0 नारायण सिंह उपरोक्त जो फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर प्रधानाध्यापक के पद पर प्राथमिक विद्यालय खखरा मिर्जापुर थाना फरधान लखीमपुर खीरी मे नियुक्त था जिसके विरूद्ध लगभग 06 माह पूर्व सेवा निवृत्त के दिन ही मुकदमा अपराध सं0 258/2020 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना फरधान लखीमपुर पुर खीरी पर अभियोग पंजीकृत कराकर बर्खास्त कर दिया गया था। वांछित अभियुक्त पतिराम उपरोक्त विगत 06 माह से फरार चल रहा था जिसके विरूद्ध मा0 न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया जा चुका था तथा पुलिस अधीक्षक खीरी द्वारा इसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी घोषित किया गया था। इसी क्रम मे आज दिनांक 05.01.2021 को उपरोक्त वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ पर फर्जी प्रधानाध्यापक/ वांछित अभि0 पतिराम उपरोक्त मे बताया कि वह व उसके पिताजी मूल रूप से जनपद गाजीपुर के निवासी थे। पिताजी द्वारा जनपद आजमगढ़ से सन 1972 मे हाईस्कूल की फर्जी मार्कशीट बनवायी थी। जिसके आधार पर वह प्राथमिक विद्यालय मे शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गया था और लगभग 37 वर्षों तक निरंतर नौकरी करता रहा सेवानिवृत्त के दिन जब उसके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर बर्खास्त कर दिया गया तो फरार हो गया और अपने गिरफ्तारी से बचने के लिये वह न तो मोबाइल फोन इस्तेमाल करता था और ना ही अपने किसी परिचित या रिश्तेदारी से किसी माध्यम से बात करता था और ना ही किसी के यहां मिलने जाता था।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना फरधान मे उपरोक्त मुकदमे मे दाखिल कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>46 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार</u>** किया गया है। विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना मोहम्मदी	36 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना पलिया	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	46 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार